न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
श्रीमती फतुदेवी पत्नि रघुनाथजी, जाति– कलबी, निवासी– मालगांव, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
(1) मगा पुत्र श्री गोदाजी कलबी, निवासी– मालगांव, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के कायम मुकाम :–
1/1. भावाराम पुत्र श्री मगाजी, जाति–कलबी, निवासी– मालगांव, तहसील– रेवदर,, जिला सिरोही
1/2. रणछोड पुत्र श्री मगाजी, जाति– कलबी, निवासी– मालगांव, तहसील– रेवदर,, जिला सिरोही
1/3. नाजु पुत्री श्री मगाजी, पत्नि श्री रूपाजी, जाति–कलबी, निवासी मालगाँव, तहसील– रेवदर,, जिला सिरोही
1/4. कमी पुत्री मगाजी, पत्नि श्री लुम्बारामजी, जाति–कलबी, निवासी– गुलाबगंज, तहसील– रेवदर,, जिला– सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, गुलाबगंज जरिये सरपंच, तहसील रेवदर, जिला सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 07/2018

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 व 1/4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 11 जनवरी,, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 13.6.1984 एवं एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में श्री मगा पुत्र गोदाजी कलबी, निवासी– मालगांव के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के तहत क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट का जारी पट्टा दिनांक 30.6.1984 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 व 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 व 1/4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान दिनांक 15.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 1/2 (रणछोड) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या–2 (ग्राम पंचायत, गुलाबगंज) की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज ने इस न्यायालय में दिनांक 19.12.2018 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1/2 व अप्रार्थी संख्या–2 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 1/2 (रणछोडराम) द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया कि ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा मगा पुत्र गोदाजी कलबी के नाम से ग्राम मालगांव में भूखण्ड संख्या 29 का पट्टा प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 13.6.1984 के अनुसरण में जारी किया [illegible] प्रार्थीया फतुदेवी के पट्टेशुदा एवं मालकी व कब्जे का भूखण्ड संख्या 30 पड़ोस में [illegible] हुआ है जिस पर प्रार्थीया फतुदेवी का गत 44 वर्षो से कब्जा है। प्रकरण में ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा

......पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:32:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि श्रीमति फतुदेवी पत्नि श्री रघुनाथजी, जाति कलवी, निवासी मालगाँव के नाम दिनांक 25.08.1986 को ग्रा० प० गुलाबगंज द्वारा पट्टा जारी किया गया है। जिसकी पंचायत बैठक दिनांक 20.02.2017 के प्रस्ताव संख्या 05 के अन्तर्गत निर्णय निर्माण स्वीकृति प्रदान की गयी है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थी मग़ाराम पुत्र गोदाजी कलबी, निवासी मालगांव को पट्टा दिनांक 30.06.1984 को जारी किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट है। मगाराम की मृत्यु होने पर उक्त पट्टे पर उसके पुत्र भावाराम पुत्र मगारामजी का मकान बना हुआ है। उक्त अप्रार्थी के द्वारा पट्टे से ज्यादा निर्माण कर अतिक्रमण किया है एवम् दरवाजा पूर्व की तरह न खोलकर पश्चिम दिशा में खोला है। अप्रार्थी ने दक्षिण दिशा में भूखण्ड श्रीमति फतुदेवी का है इस भुखण्ड पर भी पतरे व बाड द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार से अप्रार्थी ने पट्टे से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण किया है।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा श्री मगा पुत्र श्री गोदाजी कलबी, निवासी— मालगांव के हक में ग्राम पंचायत गुलाबगंज सर्किल के गांव मालगांव में प्रार्थीगण के मालकी कब्जे एवं भागेवटे का मगा पुत्र गोदाजी के हक में 2100 वर्गफीट का पट्टा बिना नम्बरी एवम् बिना मिसल एवम् बिना पुष्टि के प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 13.6.1984 के अनुसरण में अविधिक रुप से जारी किया है। ग्राम पंचायत गुलाबगंज ने मगा पुत्र गोदाजी कलबी के हक में पट्टा बिना नम्बरी जारी करने से पूर्व न तो मौके का कोई निरीक्षण किया और न ही पट्टा जारी करने के पूर्व कोई मिसल खोलकर कार्यवाही ही की। ग्राम मालगांव में रमदा माता मंदिर के पास नयी आबादी में प्रार्थीयां के पट्टाशुदा भुखण्ड पट्टा विलेख 30 है जिस पर प्रार्थी का कब्जा वर्ष 1986 से ही अनवरत् बिना रोक टोक के शान्तिपूर्वक सर्वजन की जानकारी में आया हुआ है। ग्राम पंचायत गुलाबगंज ने मगा पुत्र गोदाजी के हक में फर्जी व कुटरचित पट्टा जारी किया है, तथाकथित पट्टा के पूर्वी भाग का कोई नाप दर्ज नही है पट्टे की चारों भुजाओं का नाप अलग अलग दर्ज है। जबकि मौके पर अप्रार्थीगण ने समचौरस भुखण्ड पर अवैध निर्माण कार्य किया है। मृतक मगा के वारिसान् ने तथाकथित विक्रय विलेख दिनांक 30.06.1984 में भी हेराफेरी की है। अप्रार्थीगण ने मगा पुत्र गोवा कलबी की जगह मगा पुत्र गोदा किया है तथा उक्त पट्टे में दर्ज नापजोख भुखण्ड का कुल क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट सर्वथा मनमाने ढंग से दर्ज किया है, जिससे उक्त पट्टा सर्वथा काबिल खारिजी के है। प्रश्नगत पट्टा अवैध व फर्जी है तथा विधि विरूद्ध होकर आरम्भतः शून्य है। मृतक मगा के वारिसान प्रार्थीयां के पट्टेशुदा एवम् कब्जेशुदा भूखण्ड पर बाडा कर जबरन कब्जा करने की नाजायज कोशिश कर रहे है। प्रार्थीयां स्वयं पट्टा संख्या 30 की मालकीन है तथा उसका कब्जा है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा प्रार्थीया के आवेदन पर वार्ड पंचों से मौके का दिनांक 20.2.2017 निरीक्षण करवाकर प्रार्थीया के पक्ष में निर्माण करने की पंचरायत बैठक दिनांक 20.2.2017 के प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसरण में निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के सरपंच एवं वार्ड पंचो द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की उपस्थिति में दिनांक 31.10.2017 को मौके का निरीक्षण कर मौका फर्द दिनांक 31.10.2017 तैयार की थी जिसमें यह अंकित किया है कि अप्रार्थी भावाराम द्वारा पट्टे से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर व दक्षिण दिशा में प्रार्थी फतुदेवी के भूखण्ड पर भी अतिक्रमण किया गया है। उक्त मौका फर्द में यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थी भावाराम द्वारा पश्चिम दिशा में 50 फीट के स्थान पर 60 फीट, दक्षिण दिशा में 30 फीट के स्थान पर [illegible] पर अतिक्रमण किया है जिसमें भूखण्ड संख्या 30 जो प्रार्थीया फतुदेवी पत्नि रघुनाथ की है व पंचायत की पडत भूमि पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी [illegible] नाला व आम रास्ता

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:32:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही *सत्यमेव जयते*

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में भी अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी भावाराम द्वारा मगा पुत्र गोदाजी कलबी नाम से बने फर्जी पट्टे के आधार पर प्रार्थीया के भूखण्ड को हडपने की नियत से जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचाय़त, गुलाबगंज द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 13.6.1984 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में मगा जी पुत्र गोदाजी कलबी, निवासी— मालगांव के नाम से जारी पट्टा दिनांक 30.6.1984 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 व 1/4 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 व 1/4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 के पिता स्वर्गीय मगा पुत्र गोदाजी, जाति कलबी, निवासी मालगांव, तहसील रेवदर के हक में ग्राम पंचायत गुलाबगंज द्वारा 2100 वर्गफीट के भूखण्ड संख्या 29 का पट्टा संख्या 15 प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 13.06.1984 के अनुसरण में जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 29 को मगा जी पुत्र गोदाजी द्वारा आम नीलामी में ग्राम पंचायत, गुलाबगंज से क्रय किया था। प्रार्थीया के नाम से ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा भूखण्ड संख्या 30 का कोई पट्टा जारी नही किया है। अप्रार्थी के पिता मगारामजी अपने पट्टाशुदा भूमि के साथ ही पास की खालसा भूमि पर बतौर मालिक उनके जीवन काल में मौके पर काबिज रहे हैं तथा मंगारामजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अप्रार्थी संख्या 1/1 भावाराम उक्त पट्टाशुदा भूमि एवं साथ ही पास की खालसा भूमि पर बतौर मालिक काबिज हैं। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी मगाराम के कब्जा मालकी भूखण्ड के पट्टा को निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी पेश की हैं, वह भूमि श्री मगाजी के पटटा संख्या 15 की भूमि हैं, जिसे श्री मगाजी द्वारा आम निलामी में दिनांक 13.01.1984 को बोली लगाकर खरीद किया था, जिसके बाद संबंधित ग्राम पंचायत गुलाबगंज द्वारा पूर्णतः विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 13.06.1984 के जरिये उक्त पटटा जारी करने का निर्णय लिया जाकर अप्रार्थी के पिता मगाजी के नाम से उक्त पटटा संख्या 15 जारी किया गया हैं, जिसे प्रार्थीया द्वारा बिना किसी जानकारी के केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने, अप्रार्थी के कब्जाशुदा भूखण्ड पर अवैध रूप से कब्जा करने, उनसे रकम ऐंठने एवं ब्लैकमेल करने की बदनियति से मगाजी के नाम जारी पटटा संख्या 15 को बिना नम्बरी व बिना मिशल का बताकर सर्वथा झूठी निगरानी पेश की है। प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा व स्वामित्व की पटटा संख्या 15 के पास की अप्रार्थी भावाराम के कब्जे भोगवटे की भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करने पर अप्रार्थी भावाराम द्वारा पुलिस थाना अनादरा में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवायी थी, जिस रिपोर्ट पर पुलिस थाना हल्का अनादरा द्वारा पूर्ण अनुसंधान कर मुल्जिमान प्रार्थीया फतु देवी, उसके पुत्र जैताराम एवं पुत्र वधु बबी देवी पत्नि जैताराम के विरूद्ध अप्रार्थी भावाराम के कब्जे में अवैध रूप से जबरन हस्तक्षेप करने का प्रकरण साबित मानकर धारा 435, धारा 323, व धारा 447/34 भारतीय दण्ड संहित के तहत चालान न्यायालय में पेश किया हैं, जो अनुसंधान मौके पर प्रार्थीया फतु देवी अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य का कभी भी कब्जा नहीं रहने तथा फतु देवी व उसके परिवारजन द्वारा अप्रार्थी भावाराम का भूखण्ड हड़फने की नाजायज कोशिश करना साबित करता है। प्रार्थी फतुदेवी ने जिस पट्टे को आधार बनाकर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है वह कुटरचित व फर्जी पट्टा है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत, गुलाबगंज में कोई रेकर्ड नही है। अप्रार्थी के पटटाशुदा एवं उससे लगती उसके पुश्तैनी कब्जे की भूमि पर ही अप्रार्थी भावाराम काबिज हैं। हकीकत में वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के नाम से कोई पट्टा ग्राम पंचायत [illegible] जारी ही नहीं किया गया है, अप्रार्थी के पिता भगारामजी अपने पट्टाशुदा [illegible] के [illegible] ही पास की खालसा भूमि पर बतौर मालिक उनके जीवन काल में मौके पर [illegible] तथा मगारामजी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:32:01 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज चार पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मृत्यु के बाद उनका पुत्र अप्रार्थी संख्या 1/1 भावाराम उक्त पट्टाशुदा भूमि एवं साथ ही पास की खालसा भूमि पर बतौर मालिक काबिज हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की ग्राम पंचायत, गुलाबगंज से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा ग्राम मालगांव में भूखण्ड संख्या 29 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट आबादी भूखण्ड का नीलामी के माध्यम से विक्रय कर श्री मगा पुत्र गोवा कलबी, निवासी— मालगांव के पक्ष में पंचायत के प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 13.6.1984 के अनुसरण में पट्टा दिनांक 30.6.1984 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज से प्राप्त संबंधित रेकर्ड की प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड संख्या 29 को श्री मगा पुत्र गोवाजी कलबी, निवासी— मालगांव द्वारा ग्राम पंचायत, गुलाबगंज से आम नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर क्रय किया गया है एवं विक्रय की पुष्टि होने के बाद ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा पट्टा दिनांक 30.6.1984 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा वार्ड पंचों से उक्त भूखण्ड संख्या 29 का मौका निरीक्षण करवाकर आपत्ति नोटिस भी जारी किया गया है, उसके बाद नीलामी की सूचना भी जारी की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रशासक, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 29 का क्रेता को मौके पर कब्जा सुपर्द कर विक्रय का उप पंजीयक कार्यालय, रेवदर से पंजीयन करवाया है जिसके लेख्य पत्र संख्या 436/93 दिनांक 02.4.1993 है। इस प्रकार,, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा भूखण्ड संख्या 29 को नियमानुसार आम नीलामी में विक्रय कर मगा पुत्र गोवाजी कलबी, निवासी— मालगांव के पक्ष में पंचायत प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 13.6.1984 के अनुसरण में पट्टा दिनांक 30.6.1984 को जारी किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी फतुदेवी ने मगा पुत्र गोवाजी कलबी के पक्ष में पट्टा जारी होने के 33 वर्ष के बाद प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थी ने कोई युक्तियुक्त कारण नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:32:01 IST
Reason: SelfAttested